

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
30प्र० लखनऊ

दिनांक: 31.03.2023

पत्रांक 17/2023/ 395 /सत्रह-म-2023- 17- 1003/1/2022

विषय- "निषादराज बोट सब्सिडी योजना" के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -550/ नि०शा/2022-23 दिनांक 22.11.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्याखेट एवं नदियों/ जलाशयों में मत्स्य प्रबन्धन व संरक्षण के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के लिए जलाशयों, तालाबों, नदियों एवं अन्य जल संसाधनों में बिना इंजन की नाव (नॉन मोटराइज्ड), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु "निषादराज बोट सब्सिडी योजना" के रूप में एक नवीन राज्य योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- "निषादराज बोट सब्सिडी योजना" के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा-निर्देश इस प्रकार है-

(1) योजना का उद्देश्य-

इस योजना से प्रदेश में मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट पर निर्भर निर्धन मत्स्य पालकों व मछुआरों को जलक्षेत्रों में शिकारमाही तथा मत्स्य प्रबन्धन हेतु आर्थिक रूप से मजबूत व स्वावलम्बी बनाये जाने में सहायता प्राप्त होगी तथा इसके साथ ही संबंधित जलक्षेत्रों में अवैध शिकारमाही की रोकथाम व उसको नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(2) योजना का औचित्य-

मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट, नौकायन एवं पर्यटन स्थलों में नाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाव एक ओर जहां मत्स्य पालन हेतु निवेशों के तालाबों में उपयोग में लायी जाती है, वहीं नदियों, झीलों एवं जलाशयों में प्रभावी आखेट किया जाता है। इस योजना से गरीब मछुआरों को अनुदानित बोट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मिलने से उनको अपनी आजीविका चलाने में सहायता प्राप्त होगी। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में नाव क्रय हेतु कोई भी परियोजना संचालित नहीं है, इसलिए "निषादराज बोट सब्सिडी योजना" से मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को नाव, जाल आदि के क्रय में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण में मदद होगी।

(3) योजना का कार्यान्वयन-

1. " निषादराज बोट सब्सिडी योजना " के अन्तर्गत रु0 0.67 लाख की अधिकतम सीमा तक की वुडेन फिशिंग बोट अथवा फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक बोट (एफ.आर.पी.बोट), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि पर 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी।
2. यह योजना 40% राज्यांश व 60% लाभार्थी अंश के फंडिंग पैटर्न पर आधारित होगी।
3. योजना की इकाई लागत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 0.67 लाख होगी। वुडेन फिशिंग बोट अथवा एफ.आर.पी.बोट की यूनिट कास्ट रु0 0.50 लाख तथा जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि की यूनिट कास्ट रु0 0.17 लाख होगी। प्रतिवर्ष उक्त सामग्री के क्रय मूल्य में सम्भावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से इकाई लागत में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए योजना के पाँचवें वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2026-27 में इकाई लागत में कुल 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
4. मोटरबोट आदि की इकाई लागत का मूल्य रु0 0.67 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त धनराशि का वहन लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा ।
5. वुडेन फिशिंग बोट अथवा एफ.आर.पी.बोट की लम्बाई 15 से 18 फीट तक होगी।
6. गुणवत्ता के दृष्टिगत वेन्डर्स के इनपैनेलमेन्ट की कार्यवाही निदेशक मत्स्य द्वारा की जायेगी और उसे विभागीय वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड भी कराया जायेगा।

(4) लाभार्थी चयन प्रक्रिया एवं मानदण्ड-

"निषादराज बोट सब्सिडी योजना" के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन एवं अनुमोदन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0) का गठन निम्नवत किया जाएगा-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी द्वारा नामित मत्स्य विभाग से इतर एक जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त एवं लेखा संवर्ग का अधिकारी	सदस्य
4.	सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य-सचिव

(5) लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी -

1. लाभार्थियों का चयन उपर्युक्तानुसार तालिका में वर्णित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
2. इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन विभागीय पोर्टल पर आनलाइन अथवा मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय में आफलाइन प्राप्त किये जायेंगे। आफलाइन प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करने का दायित्व जनपदीय अधिकारी का होगा।
3. मत्स्य पालन करने वाले 0.4 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाब के पट्टाधारक, निजी तालाबों के स्वामित्व धारक एवं मत्स्य आखेट के साथ नौकायन में लगे हुये मछुआ समुदाय के व्यक्ति, जैसा कि राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित है, योजना हेतु पात्र होंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास पूर्व से नाव न हो, आवेदन के लिए पात्र होंगे।
5. किसी अन्य योजनान्तर्गत नाव क्रय हेतु लाभान्वित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
6. लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे एवं चयनित लाभार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय, उओप्र० की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
7. लाभार्थी चयन में राजस्व संहिता 2016 में उल्लिखित केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बंधित ऐसा व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगा हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। राजस्व संहिता 2016 में उल्लिखित उक्त 12 मछुआ समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो अन्तोदय राशनकार्ड धारक हैं, को प्रथम वरीयता दी जायेगी। राजस्व संहिता 2016 में उल्लिखित उक्त 12 मछुआ समुदाय के पक्का आवास विहीन को द्वितीय वरीयता दी जायेगी। राजस्व संहिता 2016 में उक्त 12 मछुआ समुदाय के अन्य व्यक्ति को तृतीय वरीयता दी जायेगी। राजस्व संहिता 2016 में उल्लिखित अन्य परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को चतुर्थ वरीयता दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. उपलब्ध बजट की सीमा के अधीन जनपदवार लाभार्थी संख्या का निर्धारण निदेशक मत्स्य द्वारा औचित्यपूर्ण रीति से किया जायेगा। निर्धारण करते समय जिला स्तरीय समिति (डी०एल०सी०) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, मछुआ समुदाय के अभ्यर्थियों की संख्या, मछुआ समुदाय के अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या, पक्का आवास विहीन व्यक्तियों की संख्या एवं जनपद में मत्स्य पालन की स्थिति एवं संभावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा।

9. आवेदन पत्रों की जाँच के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को चार समूह में विभाजित करते हुए अलग-अलग सूची बनायी जायेगी। पहली वरीयता सूची में राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित उक्त 12 मछुआ समुदाय के अन्त्योदय राशन कार्ड धारक, दूसरी वरीयता सूची में राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित उक्त 12 मछुआ समुदाय के पक्का आवास विहीन व्यक्ति, तीसरी सूची में राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित उक्त 12 मछुआ समुदाय के अन्य व्यक्ति तथा चौथी सूची में अन्य लाभार्थी जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन के व्यवसाय में लगे हों, सम्मिलित होंगे। फिर चारों सूची को पृथक-पृथक डी०एल०सी० द्वारा रैंडमाइज (Randomise) किया जायेगा। तदोपरान्त एक संयुक्त सूची बनायी जायेगी, जिसमें प्रथम वरीयता सूची के आवेदकों, उसके बाद द्वितीय वरीयता सूची वाले आवेदकों, उसके बाद तीसरी सूची के आवेदकों तथा अंत में चौथी सूची के आवेदकों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे। उक्त सूची पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

10. चयनित लाभार्थी को परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सामग्री अथवा उपकरण (वुडेन फिशिंग बोट अथवा एफ०आर०पी०बोट, जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि) खरीदना अनिवार्य होगा तथा इसके प्रमाणित बिल/ बाउचर विभागीय जिला कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। इस सम्बंध में निदेशक मत्स्य द्वारा आवश्यक प्रारूप निर्गत किया जायेगा।

11. लाभार्थी द्वारा अपने अंश की धनराशि स्वयं के संसाधन अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा।

(6) भौतिक कार्यपूति का मापदण्ड -

लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत कराए गये कार्य से सम्बंधित बिल बाउचर्स व साक्ष्य स्वरूप फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने व जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही डी०बी०टी० के माध्यम से एकमुश्त लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। इस प्रकार योजना में अनुदान की धनराशि बैंकड्रेंड (कार्योपरांत) देय होगी।

(7) योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण-

योजना के मूल्यांकन हेतु मुख्यालय एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण भी किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा। योजना अवधि में क्रय सामग्रियों का साक्ष्य फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उपलब्ध करायी गयी अनुदान धनराशि का सदुपयोग कराए जाने एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य एवं मंडल स्तर पर मंडलीय उप निदेशक मत्स्य का होगा। योजना का लाभ निर्धारित समयावधि में लाभार्थियों को प्रदान किये जाने हेतु निदेशक मत्स्य द्वारा समय-सारणी का निर्धारण किया जायेगा।

3- योजना पांच वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए संचालित की जायेगी। योजना के संचालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक अनुदान धनराशि के रूप में ₹0 8.04 करोड़ व इकाई लागत में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 8.442 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 8.864 करोड़, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹0 9.307 करोड़ व वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 9.772 करोड़ अर्थात् योजना के संचालन की पूर्ण अवधि (05 वर्ष) में कुल ₹0 44.425 करोड़ का व्यय-भार संभावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 लाभार्थियों को एवं आगामी पाँच वर्षों में 15000 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न हो पाने पर उस अवशेष लक्ष्य को आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा।

4- मा० मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदन से ही "निषादराज बोट सब्सिडी योजना" दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 17/2023 /395/ सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
- (3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- (7) समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
- (9) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
- (10) निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- (11) समन्वय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा 30प्र0 लखनऊ।
- (12) समस्त उप निदेशक मत्स्य, 30प्र0।
- (13) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0।
- (14) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाली निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, 30प्र0।
- (15) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
- (16) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।